न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

भगवान सिंह बनाम जोधा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	दावा मु०नं० 682/17	
17.05.2018	पत्रावली न्याय आपके द्वार अभियान–2018 के तहत आयोजित राजस्व लोक अदालत के कैम्प– आसपुरा में प्रस्तुत हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त प्रकरण दिनांक 15.05.2003 से अन्तिम बहस हेतु नियत है। अतः पत्रावली के बहस में विचाराधीन होने से पत्रावली का मेरिट के आधार पर निर्णय निम्न प्रकार से हैः– वादी भगवानसिंह पुत्र रूघाराम जाति–जाट निवासी ढ़ाणी बन्धावाली तन् आसपुरा ने एक वादपत्र बाबत घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का विरूद्ध जोधा पुत्र हीराराम जाति जाट निवासी ढ़ाणी राणावाली तन् गढ़टकनेत का पेश कर अवगत कराया है कि ग्राम आसपुरा के भूमि खसरा नम्बर 194, 204, 205, 206, 211, 212, 213, 215, 217, 222/806, 214/817 कुल किता 11 कुल रकबा 6.01 हैक्टर के 1/24 हिस्सा की खातेदारी प्रतिवादी नं. 1 के नाम तथा 1/12 हिस्सा की खातेदारी वादी व उसके दो भाईयों नानगराम हरदेवाराम के नाम व शेष अन्य के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रतिवादी नं. 1 व अन्य खातेदारान् के मध्य अर्सा करीबन 30 वर्ष पूर्व ही बाहमी बंटवारा होकर अपने–अपने हिस्से में आई भूमियों पर काबिज काश्त हो गये तथा सभी खातेदारान् ने मौके पर अपनी अपनी जमीनों का बंटवारा कर रखा है। प्रतिवादी न. 1 भी अपने हिस्से की भूमि खसरा नम्बर 212 रकबा 0.26 हैक्टर पर 30 वर्षो पूर्व ही काबिज काश्त हो गया था। उक्त बंटवारा होने के पश्चात् वादी व प्रतिवादी के मध्य आपसी काश्त की सुविधा के अनुसार समझौता करके प्रतिवादी ने अपने हिस्से की भूमियों में से 1/24 हिस्सा को वादी को बाहमी बंटवारे में दे दिया था और विधिवत रूपेण कब्जा भी वादी को सम्भला दिया था तब से ही वादी उक्त 1/24 हिस्सा की भूमि को अपनी भूमि में शामिल करके एकाकार रूप से काश्त करता चला आ रहा हैं जिससे प्रतिवादी का कभी कोई ताल्लुक इस 1/24 हिस्सा की भूमि से नहीं रहा है और ना ही है। वादी की इसका लगान अदा करता है, वादी ही काबिज काश्त है परन्तु राजस्व रिकार्ड में अभी तक 1/24 हिस्सा प्रतिवादी के नाम दर्ज चला आ रहा है। प्रतिवादी ने अपनी उक्त 1/24 हिस्सा की भूमि को बाहमी बंटवारें के तहत दी थी। उसके बाद प्रतिवादी ने वादी के कब्जा काश्त में कोई मजाहमत नहीं की।	

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	भगवान सिंह बनाम जोधा मु॰नं॰ – 682/17	
	दावा प्रतिवादी अपने नाम दर्ज 1/24 हिस्सा की खातेदारी वादी के नाम दर्ज कराने से दिनांक 01.06.96 को इन्कार होने पर वादी को अदालत की शरण में आकर वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ। वादपत्र दर्ज रजिस्टर होने पर प्रतिवादी ने जवाबदावा पेश कर मद नम्बर 1 ता 6 को स्वीकार करते हुए वादग्रस्त भूमियों के 1/24 हिस्से का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने व उक्त हिस्से से प्रतिवादी का नाम हजफ किये जाने का निवेदन किया है। वादी द्वारा शहादत में साक्ष्य पेश नहीं करने पर साक्ष्य बन्द की जाकर प्रकरण को बहस में लिया गया। प्रकरण का अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी व प्रतिवादीगण दोनों ही उक्त वादग्रस्त भूमि के संयुक्त खातेदार काश्तकार है। उक्त भूमि में पक्षकारान् के वाद डिक्री के साक्ष्य वाद अनुसार नहीं पाये गये। प्रतिवादी की सहमति अनुसार वाद डिक्री किया जाता है। प्रकरण स्टाम्प ड्यूटी की कमी का है। अतः स्टाम्प ड्यूटी राज्यकोष में जमा कराने पर पर्चा डिक्री जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो। यह निर्णय आज दिनांक 17.05.2018 को आयोजित न्याय आपके द्वार अभियान के तहत आयोजित राजस्व लोक अदालत कैम्पः– आसपुरा में मेरे द्वारा लिखाया जाकर मजमे–ए–आम में सुनाया गया। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर) (ब्रह्म लाल जाट) सहायक कलक्टर(फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर) कैम्पः– आसपुरा	

Scanned by CamScanner